



# बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ- 226025.

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

Vidaya Vihar Rae Bareli Road, Lucknow-226025

पत्र सं. 235/हि.प्र/ रा. भा. जाँच बिन्दु /बीबीएयू/18

दिनांक- 26 दिसम्बर 2018

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन हेतु जाँच बिन्दु (Check Point) स्थापित करना।

सचिव (उच्चतर शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश एवं माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुबंधों के समुचित अनुपालन के लिए निम्नलिखित जाँच बिंदु स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्रम संख्या	विषय	जाँच बिंदु
1.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागजात * द्विभाषी रूप में (हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) जारी करना सुनिश्चित करना। (* सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञापित/टिप्पणियां, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फार्म और नोटिस (i) क्रय/विक्रय संबंधी (ii) सिविल/अन्य कार्य संबंधी, संकल्प, नियम, संसद के सदन या दानों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज-पत्र (रिपोर्टों के अलावा), संसद के एक सदन में या दानों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें जो अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजी गईं।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
3.	'क' तथा 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना।	संबंधित सहायक/अनुभाग अधिकारी/हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
4.	सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में करना	स्थापना अनुभाग के अनुभाग अधिकारी
5.	सरकार के आदेशों के अनुसार हिंदी भाषा/टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।	हिंदी प्रकोष्ठ / स्थापना अनुभाग
6.	कम्प्यूटरों पर यूनिकोड समर्थित हिंदी फॉन्ट सुनिश्चित करना।	कम्प्यूटर केन्द्र

7.	लेखन सामग्री(लेटर पैड, लिफाफा, डायरी, कैलेंडर, सूचना विवरणिका, वाहनों, साइनबोर्ड) आदि पर विश्वविद्यालय का नाम तथा अन्य विवरण द्विभाषी होगा।	भंडार एवं क्रय अनुभाग
8.	रबड़ की मोहरें द्विभाषी रूप में बनाना।	सभी संबंधित विभाग एवं अनुभाग
9.	जो विज्ञापन अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में दिया जाए उसे अनिवार्यतः हिंदी भाषा में भी प्रकाशित कराया जाए।	विज्ञापन जारीकर्ता अधिकारी तथा भंडार एवं क्रय अनुभाग
10.	बैनर, साइन बोर्ड, नाम पट्ट, संकेतक, निमंत्रण पत्र तथा प्रदर्शन सामग्री द्विभाषी रूप में तैयार करना	सभी संबंधित अनुभाग तथा भंडार एवं क्रय अनुभाग
11.	वेबसाइट द्विभाषी रूप में बनाना ।	निदेशक कम्प्यूटर केन्द्र तथा संबंधित अनुभाग एवं हिंदी प्रकोष्ठ
12.	सभी रजिस्ट्रों पर शीर्ष नाम तथा विवरण द्विभाषी रूप में लिखना	सभी संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष एवं अनुभाग अधिकारी
13.	वेतन बिल/पर्ची द्विभाषी रूप में बनाना।	वित्त अनुभाग
14.	बैठकों में वार्तालाप/कार्रवाई (कार्यसूची Agenda तथा कार्यवृत्त Minutes हिंदी में भी सुनिश्चित करना)।	सभी अनुभाग

इन जांच बिंदुओं पर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।  
कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी ।

  
कुलसचिव

वितरण:-

1. सचिव (उच्चतर शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार , शास्त्री भवन, नई दिल्ली के निजी सचिव, को सूचनार्थ ।
2. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/प्रभारी, बीबीएयू, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी /पुस्कालयाध्यक्ष/ परीक्षा नियंत्रक, बीबीएयू, लखनऊ।
4. कुलानुशासक/ छात्र अधिष्ठाता/निदेशक जनसम्पर्क, बीबीएयू, लखनऊ।
5. सभी उपकुलसचिव/ अधिशाषी अभियंता /सहायक कुलसचिव, बीबीएयू, लखनऊ।
6. सभी अनुभाग अधिकारी, बीबीएयू, लखनऊ ।
- ✓ प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड करने हेतु।